न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (न्याय), ज

फर्द अहकाम

प्रकरण संख्या : रा० अपील 6·10/2017 रामकिशोर बनाम [illegible]

कार्यवाही /आज्ञा की दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से
22-6-17	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकेन उपस्थित। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दि० 15-6-2016 निरस्त की जाती है। प्रकरण पुनः रिमाण्ड किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 22-6-17 को खुले इजलास सुनाया गया। अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

न्यायालय श्री सुनील भाटी, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

अपील संख्या : 10/2017

रामकिशोर पुत्र श्री भौरीलाल फौजी, जाति–कुमावत, निवासी–बाढबावनपुरा, तहसील–कोटखावदा, जिला–जयपुर।

अपीलान्ट्

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, कोटखावदा, जिला–जयपुर।

रेस्पोडेन्ट्

(राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 (1) राजस्व भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार, कोटखावदा, दिनांक 15.06.2016 जिसके द्वारा नामान्तरकरण सं0 119 ग्राम–बाढबावनपुरा, तहसील कोटखावदा, को खारिज किया गया हैं)

उपस्थितः–
1. श्री एन.एल. शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट् की ओर से।
2. श्री विजय चाहर, राजकीय अभिभाषक।

निर्णय दिनांकः– 22.06.2017

पटवारी हल्का ठीकरिया मीणान् ने ग्राम–बाढबावनपुरा की आराजी खसरा नं0 कुल किता 8 रकबा, 3.77 हे0 का नामान्तरकरण राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के निर्णय दिनांक 29.12.2014 एवं तहसीलदार, कोटखावदा के आदेश क्रमांक भू.अ./16/1078 दिनांक 27.05.2016 की पालना में नामान्तरकरण सं0 119 भरकर प्रस्तुत किया हैं जिसे तहसीलदार, कोटखावदा की आज्ञा दिनांक 15.06.2016 द्वारा खारिज किया गया हैं, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई है।

उक्त आशय की अपील प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराया जाकर नोटिस रेस्पोडेन्ट जारी किये गये व मिसल मातहत न्यायालय तलब की गई।

उभय–पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक श्री एन. एल. शर्मा का कथन हैं कि अपीलाधीन आज्ञा विधि–विधान एवं पत्रावली पर

उपलब्ध तथ्यों के विपरित हैं। अपीलाधीन आज्ञा पारित किये जाने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई साक्ष्य का न तो कोई नोटिस दिया गया और न ही कोई समुचित अवसर प्रदान किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर पद का दुरूपयोग कर अपीलाधीन आज्ञा पारित की हैं। अपीलान्ट द्वारा राजस्व कैम्प महादेवपुरा में दिनांक 12.05.2016 को एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था कि माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के आदेश दिनांक 29.12.2014 की क्रियान्विति कराई जावे। राजस्व कैम्प प्रभारी ने न्यायालय के आदेश की पालना करते हुए नामान्तरकरण खोले जाने के तहसीलदार को आदेश दिए और तहसीलदार, कोटखावदा द्वारा पटवारी हल्का की पूर्ण विस्तृत रिपोर्ट लेकर जरिये आदेश क्रमांक भू.अ./2016/1078 दिनांक 27.05.2016 पटवारी हल्का ठीकरिया मीणान् को माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 29.12.2014 की पालना करने के आदेश दिए। तहसीलदार, कोटखावदा की आज्ञा दिनांक 27.05.2016 की पालना में पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण सं0 119 भरकर वास्ते स्वीकृति पेश किया जिसकी भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच कर नामान्तरकरण सही रूप से भरा होने की दिनांक 08.06.2016 को रिपोर्ट दर्ज की। इसके बावजूद मनमाने तौर पर बिना किसी आधार पर और बिना अपीलान्ट को सुने इकतरफा आदेश यह पारित किया कि "प्रकरण का अध्ययन किया गया राजहित में प्रकरण में अपील की जानी हैं। अतः नामान्तरकरण खारिज किया जाता हैं।" तहसीलदार, कोटखावदा द्वारा जब एक बार अपीलान्ट को सुनने के पश्चात् और पटवारी हल्का की रिपोर्ट लिये जाने के बाद नामान्तरकरण खोले जाने के आदेश दे दिए गये तो पुनः बिना सुनवाई किए और बिना कोई न्यायोचित आधार अधिकार क्षेत्र से परे जाकर नामान्तरकरण खारिज नहीं किया जा सकता हैं। अवैध रूप से पारित की गई आज्ञा के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट सं0 एस.बी. सिविल रिट पिटिशन नं0 5660/2017 पेश की जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अपील पेश करने की लिबर्टी दी गई हैं और इन्ही आदेशों की पालना में यह अपील प्रस्तुत की गई हैं। वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा नामान्तरकरण खोले जाने हेतु पूर्व में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया था। तहसीलदार, कोटखावदा द्वारा आंवटी के पक्ष में नामान्तरकरण खोलने के बजाय आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रार्थना–पत्र 114(4) माननीय अति0 कलक्टर (द्वितीय), जयपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 24.04.2013 को आवंटन खारिज कर दिया गया परन्तु अपीलान्ट द्वारा सक्षम न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी में अपील प्रस्तुत

की गई और माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपील का गुणावगुण के आधार पर निर्णय करते हुए अति0 कलक्टर (द्वितीय), जयपुर के निर्णय दिनांक 24.04.2013 को निरस्त कर आवंटन आदेश दिनांक 04.08.1972 को यथावत रखा हैं। राजस्व अपील प्राधिकारी की आज्ञा दिनांक 29.12.2014 के विरूद्ध किसी न्यायालय से स्थगन आज्ञा नहीं हैं तथा जब एक बार गुणावगुण के आधार पर प्रकरण की सुनवाई कर नामान्तरकरण खोले जाने के आदेश दिनांक 27.05.2016 को तहसीलदार द्वारा किये जा चुके हैं तो पुनः बिना सुने मनमाने तौर पर नामान्तरकरण को बिना किसी वैध आधार के निरस्त करने का तहसीलदार को अधिकार नहीं हैं। नामान्तरकरण की कार्यवाही एक फिसकल कार्यवाही हैं और इसे किसी वाद के लम्बित होते रोका नहीं जा सकता हैं। न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी. 2008 (2) पेज 936 में स्पष्ट अभिमत दिया गया हैं कि नामान्तरकरण एक सरसरी कार्यवाही हैं और स्वत्व अथवा अधिकार प्रदान नहीं करता हैं। वाद के लम्बित होने के कारण नामान्तरकरण की कार्यवाही को रोका नहीं जा सकता हैं। तहसीलदार, कोटखावदा द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर नामान्तरकरण को खारिज किया गया हैं जो विधि–विरूद्ध होने से निरस्तनीय हैं। अतः अपील–अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय की दिनांक 15.06.2016 निरस्त फरमाई जावे और नामान्तरकरण सं0 119 स्वीकार फरमाये जाने के आदेश दिए जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक श्री विजय चाहर का कथन हैं कि अपीलाधीन आज्ञा विधि–विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप पारित की गई हैं। अपील मियाद बाहर पेश की गई हैं और वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में विचाराधीन हैं। अतः अपील–अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय–पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध नकल प्रार्थना–पत्र श्री रामकिशोर दिनांक 12.05.2016 बाबत् नामान्तरकरण खोले जाने की पुश्त पर उपखण्ड अधिकारी, चाकसू द्वारा तहसीलदार, कोटखावदा को जरिये पत्र क्रमांक कैम्प/16/9 दिनांक 12.05.2016 राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के निर्णय की पालना में नामान्तरकरण खोलने के आदेश दिये गये हैं और इसी क्रम में तहसीलदार, कोटखावदा ने पटवारी हल्का ठिकरिया मीणान् को जरिये पत्र क्रमांक भू.अ./16/931 दिनांक 16.05.2016 द्वारा निर्णय दिनांक 29.12.2014 की पालना करने के निर्देश दिये गये हैं। तत्पश्चात् पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 26.05.2016 को वस्तुस्थिति की विस्तृत रिपोर्ट किये जाने पर रिपोर्ट की पुश्त पर तहसीलदार, चाकसू द्वारा जरिये पत्र क्रमांक भू.अ.

/ 16/ 1078 दिनांक 27.05.2016 पटवारी हल्का टिकरिया नांगीन् को मूल ही प्रति में पटवारी हल्का को प्रेषित कर निर्देश दिए हैं कि प्रार्थना–पत्र में वर्णित खसरा नं0 60, 60/332, 60/335, 60/338, 151, 161, 162, 163 किता 8 रकबा 3.77 हे0 जो गत खसरा नं0 101 के बने हैं जिसकी न्यायालय निर्णय दिनांक 29.12.2014 की पालना सुनिश्चित करे। किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो पालना से अवगत करावे। इस प्रकार तहसीलदार के समक्ष प्रकरण में समस्त तथ्य सामने आ चुके थे तो अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये पटवारी हल्का को निर्णय दिनांक 29.12.2014 की पालना किये जाने हेतु जारी पत्र दिनांक 27.05.2016 को इकतरफा निरस्त किये जाने का कोई औचित्य नहीं हैं। यहां यह भी तथ्य गौर करने लायक हैं कि वरवक्त बहस अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक श्री एन.एल शर्मा ने कथन किया हैं कि नामान्तरकरण की कार्यवाही एक फिसकल कार्यवाही हैं और इसे किसी वाद के लम्बित होते रोका नहीं जा सकता हैं। न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी. 2008 (2) पेज 936 में स्पष्ट अभिमत दिया गया हैं कि नामान्तरकरण एक सरसरी कार्यवाही हैं और स्वत्व अथवा अधिकार प्रदान नहीं करता हैं। वाद के लम्बित होने के कारण नामान्तरकरण की कार्यवाही को रोका नहीं जा सकता हैं, अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा किये गये कथन एवं न्यायिक दृष्टान्त से हम सहमत हैं। उक्त विवेचनानुसार हम यह पाते है कि तहसीलदार द्वारा पारित की गई आज्ञा दिनांक 15.06.2016 न्याय–संगत नहीं हैं और उसे रिकार्ड पर रखा जाना न्यायोचित नहीं हैं। अतः प्रकरण का निस्तारण किये जाने हेतु सम्बन्धित पक्षकार को सुनवाई साक्ष्य का नोटिस व समुचित अवसर नहीं दिया गया, जो नियमानुसार प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थिति के आधार पर दिया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः अपील अपीलान्ट् स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 15.06.2016 निरस्त की जाती है और प्रकरण पुनः तहसीलदार, कोटखावदा को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि सम्बन्धित पक्षकार को सुनवाई साक्ष्य का नियमानुसार नोटिस दिया जाकर साक्ष्य सबूतो हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान कर प्रकरण में किये गये विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण के आधार पर पुनः न्याय–संगत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 22.06.2017 को सरे ईजलास सुनाया गया।

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

22/6/17

(सुनील भाटी)

अति. कलक्टर (द्वितीय)

जयपुर